

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 668/2024

अनवान : -

1. सुनील कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. दीपचन्द सहारण पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
2. पूर्णराम सहारण पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
4. अनसुईया पत्नी राजाराम जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
5. रामी देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
6. कृष्ण पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
7. सतपाल पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
8. साहबराम पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
9. श्योपत पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
10. सतवीर पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
11. सन्दीप कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
12. बलवान सिंह पुत्र हरदेवाराम जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
13. इमला देवी पत्नी हरदेवाराम जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त०
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक:- 17/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स० 212/208 के ख०न० 292 की 5.3750 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स० 227/118 के ख०न० 292/457 की कुल 5.3750 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स० 212/208 की कुल 5.3750 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 253/4300 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1012/5375 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1074/5375 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 759/5375 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 253/2150 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 253/2150 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 अकेला 253/4300 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 अकेला 253/4300 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 अकेला, 253/4300 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजो ने वादग्रस्त भूमि का बाहमी बंटवारा लिया है तथा मुताबिक बंटवारा के अनुसार वादग्रस्त भूमि

21

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काशत करते आ रहे है तथा वादग्रस्त भूमि अपने कब्जा काशत के अनुसार नक्शा में तरमीम करवाना चाहते है जो की निम्न प्रकार है-

1. रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 212/208 के ख0न0 292/1 की 1.265 हैक्ट भूमि दक्षिण पासा की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 12 प्रत्येक 253/4300 हिस्सा भूमि के खातेदार काशतकार रहेंगे एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 277/118 के ख0न0 292/457/1 की 1.265 हैक्ट दक्षिण पासा की भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 12 प्रत्येक 253/4300 हिस्सा भूमि के खातेदार काशतकार रहेंगे।
2. रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 277/118 के ख0न0 292/457/1 की 2.055 हैक्ट भूमि उत्तरी पास की भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.506 हैक्ट प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.537 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.3795 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 0.3163 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 0.3163 हैक्ट भूमि के खातेदार रहेंगे एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 212/208 के ख0न0 292/457 की व 292/2 की 2.055 हैक्ट भूमि उत्तरी पासा की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.506 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.537 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.3795 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 0.3163 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 0.3163 हिस्सा भूमि के खातेदार काशतकार रहेंगे।
3. रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 212/208 के ख0न0 292/3 की 2.055 हैक्ट भूमि उत्तरी मध्य दक्षिणी भाग की भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 अकेला 0.36625 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 7 अकेला 0.36625 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 0.4745 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 9 अकेला 0.4745 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 10 अकेला 0.36625 हैक्ट भूमि के खातेदार काशतकार रहेंगे एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 212/208 के ख0न0 292/457/3 की 2.055 हैक्ट भूमि के उत्तरी मध्य दक्षिणी भाग की भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 अकेला 0.36625 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 7 अकेला 0.36625 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 0.4745 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 9 अकेला 0.4745 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 10 अकेला 0.36625 हैक्ट भूमि के खातेदार काशतकार रहेंगे। वादी व प्रतिवादीगण इसी अनुसार वाद भूमि को अलग अलग अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वाद भूमि को मुताबिक बंटवारा राजस्व रिकार्ड में अलग अलग अपने नाम दर्ज करवा लेवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वाद भूमि का मुताबिक बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

01.
उपस्थित अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 13 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 14 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादीगण का वाद भूमि बाबत बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही वाद भूमि सभी पक्षकारान के कब्जा व काश्त में है इसलिए वाद भूमि का खाता व लगान मुताबिक बंटवारा अलग अलग करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खाता विभाजन का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स० 212/208 के ख०न० 292 की 5.3750 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स० 227/118 के ख०न० 292/457 की कुल 5.3750 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादी व प्रतिवादीगण का वाद भूमि बाबत बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही वाद भूमि सभी पक्षकारान के कब्जा व काश्त में है इसलिए वाद भूमि का खाता व लगान मुताबिक बंटवारा अलग अलग करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 212/208 के ख0न0 292/1 की 1.265 हैक्ट भूमि दक्षिण पासा की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 12 प्रत्येक 253/4300 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 277/118 के ख0न0 292/457/1 की 1.265 हैक्ट दक्षिण पासा की भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 12 प्रत्येक 253/4300 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 277/118 के ख0न0 292/457/1 की 2.055 हैक्ट भूमि उत्तरी पास की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.506 हैक्ट प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.537 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.3795 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 0.3163 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 0.3163 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 212/208 के ख0न0 292/457 की व 292/2 की 2.055 हैक्ट भूमि उत्तरी पासा की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.506 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.537 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.3795 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 0.3163 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 0.3163 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 212/208 के ख0न0 292/3 की 2.055 हैक्ट भूमि उत्तरी मध्य दक्षिणी भाग की भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 अकेला 0.36625 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 7 अकेला 0.36625 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 0.4745 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 9 अकेला 0.4745 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 10 अकेला 0.36625 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 212/208 के ख0न0 292/457/3 की 2.055 हैक्ट भूमि के उत्तरी मध्य दक्षिणी भाग की भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 अकेला 0.36625 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 7 अकेला 0.36625 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 0.4745 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 9 अकेला 0.4745 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 10 अकेला 0.36625 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (पंकज गढ़वाल R.A.S)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर
 नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 668/2024

अनवान : -

1. सुनील कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्


1. दीपचन्द सहारण पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
2. पूर्णराम सहारण पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र रामदयाल जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
4. अनसुईया पत्नी राजाराम जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
5. रामी देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
6. कृष्ण पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
7. सतपाल पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
8. साहबराम पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
9. श्योपत पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
10. सतवीर पुत्र श्रीचन्द जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
11. सन्दीप कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
12. बलवान सिंह पुत्र हरदेवाराम जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
13. इमला देवी पत्नी हरदेवाराम जाति जाट साकिन अरड़की तहसील नोहर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 668 सन 2024 निर्णय दिनांक - 17/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 212/208 के ख0न0 292/1 की 1.265 हैक्ट भूमि दक्षिण पासा की भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 12 प्रत्येक 253/4300 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 277/118 के ख0न0 292/457/1 की 1.265 हैक्ट दक्षिण पासा की भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 11 ता 12 प्रत्येक 253/4300 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 277/118 के ख0न0 292/457/1 की 2.055 हैक्ट भूमि उत्तरी पास की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.506 हैक्ट प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.537 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.3795 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 0.3163 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 0.3163 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 212/208 के ख0न0 292/457 की व 292/2 की 2.055 हैक्ट भूमि उत्तरी पास की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.506 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 0.537 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 0.3795 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 0.3163 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 0.3163


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 212/208 के ख0न0 292/3 की 2.055 हैक्ट भूमि उत्तरी मध्य दक्षिणी भाग की भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 अकेला 0.36625 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 7 अकेला 0.36625 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 0.4745 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 9 अकेला 0.4745 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 10 अकेला 0.36625 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 212/208 के ख0न0 292/457/3 की 2.055 हैक्ट भूमि के उत्तरी मध्य दक्षिणी भाग की भूमि में प्रतिवादी संख्या 6 अकेला 0.36625 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 7 अकेला 0.36625 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 8 अकेला 0.4745 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 9 अकेला 0.4745 हैक्ट, प्रतिवादी संख्या 10 अकेला 0.36625 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर